प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......348/2022 दिनांक......5/9/2022

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7ए......................
(2) अधिनियम – ...भा.द.सं. ....धाराये :–....120बी ....
(3) अधिनियम ....धाराये :–...................................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..82.......समय.......1.00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 04.09.2022............ रविवार ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 02.09.2022 समय–07.00 ए.एम.......

4. सूचना की किस्म :– मौखिक एवं हस्तलिखित

5. घटनास्थल:– आरोपिया का रहवासी किराये का मकान ग्राम मोकलसर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी जैसलमेर से पुर्व दिशा, करीबन 290 किलोमीटर
(ब) पता :– ग्राम मोकलसर जिला बाड़मेर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी / सूचनाकर्ता
(अ) नाम :– श्री चन्दनसिंह
(ब) पिता / पति का नाम :– श्री मांगूसिंह
(स) जन्म तिथि / वर्ष :– 38 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :–... जारी होने की तिथी..................
(र) व्यवसाय :– खेतीबाडी
(ल) पता :– ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
(1) रेखा वैष्णव पुत्री रामनिवास वैष्णव पत्नी श्री सुभाष वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 29 साल निवासी ग्राम मोडीकल्ला (नीमडी कल्ला) तहसील रियाबडी पुलिस थाना हलसोट जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर।
(2) श्री सुभाष वैष्णव दलाल पटवारी रेखा वैष्णव का पति।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 5500 रूपये

11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें,

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर(राज0)

विषय :– पटवारी व उसके पति को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी चन्दनसिंह पुत्र श्री मांगूसिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम मोकलसर जिला बाडमेर का रहने वाला हुँ। हम कुल पांच भाई है। मैने मेरे बडे भाई श्री जबरसिंह की पत्नी श्रीमति जोती कंवर (भाभी) के नाम खसरा नं0 757 रकबा 06 बीघा खातेदारी जमीन एक माह पहले खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री के बाद म्युटेशन मेरी भाभी श्रीमति जोती कंवर के नाम दर्ज करवाने के लिए मै मोकलसर पटवारी रेखा वैष्णव से मिला तो रेखा वैष्णव एवं उसके पति श्री सुभाष वैष्णव ने म्युटेशन के एवज में 15000 रूपये मांगे तो मैने मजबूरी में उस समय 15000 रूपये पटवारी को दे दिये परन्तु अभी तक मेरा काम नही हुआ। मै पटवारी रेखा एवं उसके पति सुभाष से पुनः मिला तो उन्होने मेरे से 10000 रूपये रिश्वत की और मांग कर रहे है। तथा रिश्वत देने पर ही काम करने का कहा है। मै इन दोनो पटवारी रेखा वैष्णण एवं उसके पति सुभाष वैष्णव को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हुँ। इनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करावे। मेरी इन दोनों से कोई दुश्मनी नही है और ना कोई उधार लेन देन बाकी है।

दिनांक 03/09/2022

प्रार्थी
–एसडी–
चन्दनसिंह पुत्र मांगूसिंह राजपूत ग्राम
मोकलसर जिला बाडमेर।
मो0 9008982968

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 02.09.2022 समय 07.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री चन्दनसिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 9008982968 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9829268470 पर जरिये वाटसएप्प कॉल बताया कि मेरा नाम चन्दनसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर जिला बाडमेर है। मैने मेरी भाभी जोती कंवर पत्नी जबरसिंह के नाम से ग्राम मोकलसर मे जरिये रजिस्ट्री 06 बीघा जमीन खरीदी थी जिसका म्युटेशन भरकर स्वीकृत करवाने एवं जमाबन्दी रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने के लिए पटवारी रेखा वैष्णव एवं उसका पति सुभाष वैष्णव को मजबूरी में 15000 रूपये रिश्वत दे चुका हुँ फिर भी मेरा काम नही कर रहे है तथा मेरे से 10000 रूपये और रिश्वत की मांग कर रहे है जिनके खिलाफ मै कार्यवाही करवाना चाहता हुँ। परन्तु मोकलसर से जैसलमेर बहुत दूर होने के कारण मै जैसलमेर आने मे असमर्थ हुँ। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को ग्राम मोकलसर मे ही रहने एवं गोपनीयता की आवश्यक हिदायत की गई। परिवादी चन्दनसिंह द्वारा बताये गये हालात से एक लोक सेवक आरोपी एवं उसके दलाल द्वारा परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से अग्रिम कार्यवाही कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय हाजा के कानि श्री भंवरलाल नं0 309 को तलब मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कानि श्री भंवरलाल नं0 309 को सुपुर्द कर निर्देशित किया कि आप ग्राम मोकलसर पहुँच परिवादी श्री चन्दनसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर जिला बाडमेर मोबाईल नम्बर 9008982968 से सम्पर्क कर उनसे लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने का प्रार्थना पत्र एवं पैन्डिग कार्य के सम्बन्ध में दस्तावेज इत्यादि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे, तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रकिया समझाकर रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर वार्ता विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कर बिना

सुने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर हालात से अवगत करावे। ताबाद कानि श्री भंवरलाल को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सहित ग्राम मोकलसर रवाना किया गया।

दिनांक 03.09.2022 समय 06.40 पी0एम0 पर कानि श्री भंवरलाल 309 ने जरिये वाटसएप्प कॉल मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मै कल दिनांक 02.09.2022 को रवाना होकर देर रात ग्राम मोकलसर बाडमेर पहुँचकर रात्री विश्राम किया एवं आज दिनांक 03.09.2022 को परिवादी श्री चन्दनसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर जिला बाडमेर से सम्पर्क कर निर्देशानुसार परिवादी चन्दनसिंह से लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने का मूल प्रार्थना पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड एवं उसकी भाभी जोतीकंवर की रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां इत्यादि दस्तावेज प्राप्त करके परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रकिया समझाकर रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के बताये अनुसार ग्राम मोकलसर में ही स्थित आरोपीगण के किराये के रहवासी मकान पर वक्त 05.12 पीएम पर भेजा था। जिसके कुछ समय बाद वक्त 05.58 पीएम पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बिना सुने ही स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा हुआ है। पुछताछ पर परिवादी श्री चन्दनसिंह ने मुझ कानि को बताया कि मैने पटवारी रेखा वैष्णव तथा उसके पति श्री सुभाष वैष्णव से मेरी भाभी जोती कंवर के नाम का म्युटेशन दर्ज कर स्वीकृत करवाकर जमाबन्दी रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो उन्होने मेरे काम करने के एवज में 10,000 रूपये और रिश्वत की मांग की तब मेरे द्वारा विनती करने पर इन्होने 8000 रूपये लेने की हामी भरी थी तथा मैने कल या परसो तय 8000 रूपये देने का कहा है, जो वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। ताबाद कानि श्री भंवरलाल ने अपने मोबाईल से ही मन् उप अधीक्षक पुलिस का वार्ता परिवादी श्री चन्दनसिंह से करवाई तो उसने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। जिस पर परिवादी श्री चन्दनसिंह एवं कानि श्री भंवरलाल को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 8000 रूपये की व्यवस्था करने एवं कल दिनांक 04.09.2022 को प्रातः 9.00 एएम पर मोकलसर चौराहा से सिवाना रोड पर 2 किमी पहले प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के साथ उपस्थित मिलने की आवश्यक हिदायत की गई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कल दिनांक 04.09.2022 को ही ट्रेप का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया जाकर आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर के नाम तहरीर जारी कर श्री कंवराजसिह कानि 444 को भेजकर दो स्वतन्त्र गवाहान तलब किये गये। ताबाद संचित निरीक्षक पुलिस लाईन जैसलमेर के नाम तहरीर जारी कर एक महिला कानिस्टेबल को दिनांक 04.09.2022 को प्रातः 04.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। दिनांक 03.09.2022 समय 07.30 पी0एम0 पर श्री कंवराज सिंह कानि0 444 दो स्वतंत्र गवाहान लेकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आया, जिनका परिचय प्राप्त किया तो उन्होनें अपना नाम कमशः (1) श्री मनोज बैरवा पुत्र श्री रामहेत बैरवा जाति बैरवा उम्र 28 साल निवासी ग्राम जयसिंहपुरा पोस्ट करणपुरा तहसील रैणी पुलिस थाना रैणी जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9079251872, 8441943383 (2) श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति सुथार उम्र 31 साल निवासी वार्ड नम्बर 22 बालोतरा पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नम्बर 9587309370 होना बताया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज बैरवा एवं श्री जगदीश कुमार को आवश्यक हिदायत कर दिनांक 04.09.2022 को प्रातः 4.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया। साथ ही हाजिर ब्यूरों स्टाफ को भी उपरोक्त निर्धारित समय पर उपस्थित रहने हेतु पाबंन्द किया गया तथा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन ब्यूरों कार्यालय जैसलमेर में लाने हेतु श्री शेराराम कानि चालक 302 को पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 04.09.2022 समय 04.00 ए.एम तक पूर्व में पाबन्दशुदा ब्यूरो स्टाफ, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज बैरवा एवं जगदीश कुमार तथा महिला कानि0 श्रीमति विमला 838

ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम हैड कानि 53 को हिदायत की गई कि वह फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया बनाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ लेवें। पुर्व में पाबन्दशुदा कानिस्टेबल चालक श्री शेराराम 302 टेक्सी स्टेण्ड जैसलमेर से एक प्राईवेट वाहन साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आया। ताबाद समय 4.20 एएम पर मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता जेठाराम हैड कानि. 53, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कानि0गण, श्री कंवराजसिंह कानि 444, श्री किसनाराम कानि 238 श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री नरेन्द्रसिंह कानि 274, महिला कानि विमला 838, श्री शेराराम चालक नंबर 302, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज बैरवा एवं जगदीश कुमार के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन, फिनोफथलीन पाउडर की कागज की पुडिया, सोडियम कार्बोनेट की शीशी, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के मौजा मोकलसर जिला बाडमेर की तरफ रवाना होकर समय 08.50 ए. एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त हमरायान के ग्राम मोकलसर से 02 किमी पहले सिवाना रोड के पास पहुँचा। जहां पूर्व पाबन्दसुदा परिवादी श्री चन्दनसिंह कानि. भंवरलाल कानि 309 उपस्थित मिले। कानि0 श्री भंवरलाल ने पुर्व निर्देशो के क्रम में परिवादी का मूल प्रार्थना पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड एवं उसकी भाभी जोतीकंवर की रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां इत्यादि दस्तावेज एवं विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर जिसमे मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। तत्पश्चात कानि0 भंवरलाल ने बताया कि रिश्वती राशि मांग का सत्यापन दिनांक 03.09.2022 को करवाया जाकर वार्ता डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई है। मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार परिवादी श्री चन्दनसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर जिला बाडमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि " हम कुल पांच भाई है। मैने मेरे बडे भाई श्री जबरसिंह की पत्नी श्रीमति जोती कंवर (भाभी) के नाम खसरा नं0 757 रकबा 06 बीघा खातेदारी जमीन एक माह पहले खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री के बाद म्युटेशन मेरी भाभी श्रीमति जोती कंवर के नाम दर्ज करवाने के लिए मै मोकलसर पटवारी रेखा वैष्णव से मिला तो रेखा वैष्णव एवं उसके पति श्री सुभाष वैष्णव ने म्युटेशन के एवज में 15000 रूपये मांगे तो मैने मजबूरी में उस समय 15000 रूपये पटवारी को दे दिये परन्तु अभी तक मेरा काम नही हुआ। मै पटवारी रेखा एवं उसके पति सुभाष से पुनः मिला तो उन्होने मेरे से 10000 रूपये रिश्वत की और मांग कर रहे है। तथा रिश्वत देने पर ही काम करने का कहा है। मै इन दोनो पटवारी रेखा वैष्णण एवं उसके पति सुभाष वैष्णव को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हुॅं। इनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करावे। मेरी इन दोनों से कोई दुश्मनी नही है और ना कोई उधार लेन देन बाकी है।" पुछताछ पर परिवादी श्री चन्दनसिंह ने यह प्रार्थना अपने किसी मित्र से लिखवाया जाकर इस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की एवं स्वयं का वर्तमान में बैलगांव (कर्नाटक) में रहना बताया तथा आरोपीगण से कोई पुरानी रंजिश व दुश्मनी नही होना व ना ही इनसे कोई उधार लेन–देन बाकी होना बताया। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होने से अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौके पर उपस्थित परिवादी श्री चन्दनसिंह व दोनो गवाह श्री मनोज बैरवा एवं जगदीश कुमार से आपस मे परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर तथा पूर्व में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये तो परिवादी श्री चन्दनसिंह के कथनो की पुष्टि हुई। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। ताबाद परिवादी श्री चन्दनसिंह ने आरोपीगण रेखा वैष्णव व उसके पति श्री सुभाष वैष्णव द्वारा पूर्व में तय की गई रिश्वती राशि 8,000 रू. की व्यवस्था कर साथ लाना

बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कहने पर परिवादी श्री चन्दनसिंह ने 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रू. निकाल कर पेश किये, इन नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने की कार्यवाही कानि. कंवराजसिंह नं0 444 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मौके पर ही जरिये विभागीय लेपटोप के तैयार की जाकर पास ही स्थित मन्दिर मे बिजली की सुविधा उपलब्ध होने से प्रिन्ट लिया गया। ताबाद नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री कंवराजसिंह को अग्रिम निर्देश तक मौके पर ही रूकने की हिदायत की गई। दिनांक 04.09.2022 समय 09.55 ए.एम पर परिवादी श्री चन्दनसिंह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन देन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु कानि0 श्री भंवरलाल 309 के साथ जरिये परिवादी के निजी मोटरसाईकिल से परिवादी के पुर्व कथनानुसार ग्राम मोकलसर में स्थित आरोपिया रेखा वैष्णव एवं सुभाष वैष्णव के किराये के रहवासिय मकान की तरफ आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त हमरायान ट्रेप दल के साथ लाये हुए दोनों वाहनो से ही परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर ग्राम मोकलसर स्थित आरोपिया रेखा वैष्णव एवं सुभाष वैष्णव के किराये के रहवासिय मकान के पास पहुॅच कर उसके आस पास ही शेष ब्यूरो दल अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे।

दिनांक 04.09.2022 समय 10.20 ए.एम पर मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री चन्दनसिंह ने ग्राम मोकलसर में स्थित आरोपिया के रहवासी किराये के मकान से बाहर आकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने सिर पर हाथ फेर कर आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यो को तुरन्त एकत्रित कर आरोपिया पटवारी रेखा वैष्णव के रहवासी किराये के मकान के पास आकर परिवादी श्री चन्दनसिंह सम्पर्क किया तो उसने बताया कि रिश्वत की राशि 8000 रूपये पटवारी रेखा वैष्णव के पति श्री सुभाष वैष्णव (दलाल) ने मेरे से प्राप्त कर अपनी हाथों में लेकर गिनकर अपने पास रखे है, वो दोनों मकान के अन्दर है। जिस पर परिवादी श्री चन्दनसिंह को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसको बाद मे सुन सुन कर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल, परिवादी श्री चन्दनसिंह, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व महिला कानि श्रीमति विमला नम्बर 838 के आरोपिया रेखा वैष्णव के किराये के मकान के प्रवेश द्वार पर पहुॅचे। प्रवेश द्वार का चिक डोर अन्दर से बन्द था तथा सामने एक महिला व एक व्यक्ति नजर आ रहे थे। जिस पर अन्दर मौजूद महिला को चिक डोर खोलने हेतु आग्रह किया तो उसने आकर चिक डोर खोला। चिक डोर खोलते ही ब्यूरो दल को देखकर अन्दर मौजुद व्यक्ति पीछे के दरवाजे से भागता हुआ नजर आया जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सन्देह होने पर ब्यूरो स्टाफ को उक्त व्यक्ति को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया। तथा महिला कानि श्रीमति विमला न0 838 को उक्त महिला के पास निगरानी हेतु मामुर कर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के साथ पीछे के दरवाजे की तरफ जाकर देखा तो पीछे के खुले चौक मे एक और दरवाजा लगा होकर खुला हुआ पाया गया एवं पीछे की बबूल की घनी झाडियां नजर आई। उक्त चौक के पीछे के दरवाजे से बाहर की तरफ जाने पर दरवाजे के पास ही 500–500 रूपये के नोट पडे हुए पाये गये, जो कि शक होने पर सम्भवतः आरोपी श्री सुभाष वैष्णव द्वारा ही भागते समय फैके गये है जिन्हे स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज बैरवा से उठवाये जाकर गिनवाये गये तो 500 रूपये के 11 नोट कुल राशि 5500 रूपये पाये गये जो उनके पास ही रहने दिये गये। ताबाद उक्त फरार व्यक्ति की काफी तलाश पतारसी सम्भावित स्थलो पर करने के बावजुद भी नही मिला। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपिया के रहवासी किराये के मकान में प्रवेश कर महिला कानि विमला की उपस्थिति में अन्दर मौजुद महिला को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व ट्रेप दल का परिचय देकर उसका नाम पता पुछा तो उसने नाम रेखा वैष्णव पत्नी श्री सुभाष वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 29 साल निवासी ग्राम मोडीकलां तहसील रियाबडी पुलिस थाना हलसोट जिला नागौर हाल पटवारी

पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर मोबाईल नम्बर 8696763434 होना बताया। वर्तमान रहवासी आवास के बारे में पुछने पर बताया कि मै व मेरा पति सुभाष वैष्णव इस मकान में किराये पर रहते है जिसके मालिक श्री कान्तिलाल बाफना निवासी मोकलसर है। तत्पश्चात रेखा वैष्णव को उनके पति श्री सुभाष वैष्णव के बारे मे पुछने पर उसने बताया कि मेरे पति थोडी देर पहले यही मेरे साथ थे जो आपको देखकर पीछे की तरफ निकल गये वो कहा गये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री चन्दनसिंह की तरफ ईशारा कर रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर पटवारी रेखा वैष्णव ने बताया कि मै चन्दनसिंह को जानती हुॅं क्योकि चन्दनसिंह अपनी भाभी जोती कंवर के नाम से कोई जमीन खरीदी थी जिसका म्युटेशन दर्ज करवाने के लिए मेरे पास आया था। मैने इसका म्युटेशन दर्ज कर दिया था, मैने चन्दनसिंह से कोई रिश्वती की मांग नही की थी और ना ही कोई रिश्वत की राशि प्राप्त की है। जिस पर परिवादी को पुछने पर परिवादी श्री चन्दनसिंह ने बताया कि मैने मेरे बडे भाई श्री जबरसिंह की पत्नी श्रीमति जोतीकंवर के नाम से ग्राम मोकलसर के खसरा नम्बर 757 में 06 बीघा खातेदारी जमीन आज से करीबन एक माह पहले जरिये रजिस्ट्री खरीदी थी। मेरी भाभी जोती कंवर का नाम म्युटेशन में दर्ज करवाने के लिए मै पटवारी रेखा वैष्णव से मिला तो रेखा वैष्णव तथा उसके पति श्री सुभाष वैष्णव ने म्युटेशन के एवज में 15000 रूपये की रिश्वत मांगने पर मैने मजबुरी में उस समय रूपये दे दिये थे परन्तु मेरा काम नही होने पर मैने पटवारी रेखा वैष्णव व उसके पति सुभाष वैष्णव से पुनः सम्पर्क किया तो इन्होने मेरी भाभी जोती कंवर के नाम का म्युटेशन दर्ज कर स्वीकृत करवाकर जमाबन्दी रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के एवज में कल दिनांक 03.09.2022 को 10,000 रूपये रिश्वत और मांगी तब मेरे द्वारा विनती करने पर इन्होने 8000 रूपये लेने की हामी भरी थी जो आज मैने इनके सामने ही इनके पति श्री सुभाष वैष्णव को दिये है जो उन्होने गिनकर अपने पास रखे थे। जब मै गोपनीय इशारा करने हेतु मकान के बाहर आया तब तक यह दोनो मकान के अन्दर ही थे। इस पर रिश्वती राशि मांगने के सम्बन्ध में पटवारी रेखा वैष्णव को तस्सली देकर पुनः पुछने पर उसने कहा कि साहब गलती हो गई मैने आज कोई पैसे नही लिये है, ना ही चन्दनसिंह द्वारा दिये गये रूपयों को मैने हाथ लगाया है। मेरे पति सुभाष ने रूपये लेकर कहां रखे है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। दर्ज रहे कि आरोपिया रेखा वैष्णव के कथनानुसार उसने रिश्वती राशि को हाथ नही लगाया है, परिवादी के कथनानुसार रिश्वती राशि आरोपिया के पति श्री सुभाष वैष्णव द्वारा प्राप्त किये गये है जो कि ब्यूरो दल को देखकर फरार हो चुके है। ऐसी स्थिति में आरोपिया रेखा वैष्णव के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे का धोवन लिये जाने का कोई औचित्य नही है। ताबाद मौके पर बरामदा रिश्वती राशि 5500 रूपये जो कि गवाह श्री मनोज बैरवा के पास पूर्व में रखवाये गये थे, उक्त राशि के नोटो को गवाह मनोज बैरवा के पास ही रहने दिये जाकर दुसरे गवाह श्री जगदीश कुमार को पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी की एक प्रति देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान बोल–बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 500 रूपये के 11 नोटो के नम्बर हुबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये जो निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	नोट का विवरण	नोट का नंबर
1.	500/– रूपये का नोट नंबर	0 QC 164697
2.	500/– रूपये का नोट नंबर	6 PK 449298
3.	500/– रूपये का नोट नंबर	0 KS 641932
4.	500/– रूपये का नोट नंबर	7 RN 798117
5.	500/– रूपये का नोट नंबर	4 BT 402624
6.	500/– रूपये का नोट नंबर	2 TT 804392
7.	500/– रूपये का नोट नंबर	6 NL148898
8.	500/– रूपये का नोट नंबर	2 LN112442

9.	500/– रूपये का नोट नंबर	6 HA 040722
10.	500/– रूपये का नोट नंबर	6 WF 418554
11.	500/– रूपये का नोट नंबर	5 DG 373856

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 5500 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री चन्दनसिंह के पैण्डिंग कार्य उसकी भाभी श्रीमति जोती कंवर पत्नी जबरसिंह के म्युटेशन से सम्बन्धित दस्तावेजात के बारे में पुछने पर आरोपिया पटवारी रेखा वैष्णव ने अपने काम काज करने की टेबल पर दस्तावेजो में से श्रीमति जोती कंवर पत्नी जबरसिंह के म्युटेशन से सम्बन्धित दस्तावैज निकाल कर पेश किये गये जिसको कब्जा एसीबी लिया जाकर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि नामांतरकरण प्रपत्र (पी 21) में जोती कंवर पत्नी जबरसिंह के नाम दिनांक 22.08.2022 को दर्ज किया गया जिसकी जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत मोकलसर द्वारा दिनांक 31.8.2022 की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा दिनांक 02.09.2022 को स्वीकृत किया गया है। आरोपिया रेखा वैष्णव से उक्त म्युटेशन का इन्द्राज जमाबन्दी रिकॉर्ड में करने के सम्बन्ध में पुछने पर बताया कि उक्त स्वीकृतशुदा म्युटेशन का जमाबन्दी में इन्द्राज करना शेष है। उक्त कब्जाशुदा दस्तावैजात पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षकर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद रिश्वती राशि बरामदगी स्थान का रूबरू गवाहान के नक्शा मौका घटनास्थल का तैयार किया जाकर फर्द अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद महिला कानि श्रीमति विमला 838 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रूबरू मौतबिरान आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी एवं उसके पति सुभाष वैष्णव के रहवासी किराये के मकान की विधिवत खाना तलाशी ली जाकर फर्द अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 04.09.2022 समय 02.45 पी0एम0 पर प्रकरण में आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी के पति सह आरोपी सुभाष वैष्णव के मोके से फरार हो जाने एवं ब्यूरो दल द्वारा उसकी तलाश पतारसी करने के कारण आरोपिया के निवास के आस पास ग्रामवासियों की भीड जमा हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना सिवाना में किया जाने का निर्णय लेकर मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता जेठाराम हैड कानि. 53, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कानि0गण, श्री किसनाराम कानि 238 श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री नरेन्द्रसिंह कानि 274, महिला कानि विमला 838, मय आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी, श्री शेराराम चालक नंबर 302, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज बैरवा एवं जगदीश कुमार मय परिवादी श्री चन्दनसिंह के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना आईट्म्स एवं प्रकरण पत्रावली मय दस्तावैजात इत्यादि सहित रवाना होकर पुलिस थाना सिवाना पहुॅचा। साथ ही कानि कंवराजसिंह को जरिये फोन हिदायत करने पर वह पुलिस थाना सिवाना उपस्थित आया जिसको इमदाद हेतु अग्रिम कार्यवाही में शामिल किया गया। **दिनांक 04.09.2022 समय 03.30 पी0एम0** पर आरोपिया रेखा वैष्णव पत्नी श्री सुभाष वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 29 साल निवासी ग्राम मोडीकलां तहसील रियाबडी पुलिस थाना हलसोट जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भादसं. से अवगत करवाया जाकर महिला लोक लज्जा को ध्यान में रखते हुए महिला कानि0 विमला 838 की उपस्थिति में गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 04.09.2022 समय 4.00 पी0एम0 पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड परिवादी श्री चन्दनसिंह व आरोपीगण रेखा वैष्णव पटवारी एवं सुभाष वैष्णव के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.09.2022 को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाप मे कॉपी की जाकर लेपटॉप की मदद से तीन सिडियां तैयार कर, उक्त तीनो सीडियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त तीनो सिडियो में से एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील्ड मोहर किया गया व दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। ताबाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड परिवादी श्री चन्दनसिंह व आरोपीगण रेखा वैष्णव पटवारी एवं सुभाष वैष्णव के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन देन वार्ता दिनांक 04.09.2022 को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाप मे कॉपी की जाकर लेपटॉप की मदद से तीन सिडियां तैयार कर, उक्त तीनो सीडियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त तीनो सिडियो में से एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील्ड मोहर किया गया व दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। मौके की समस्त ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री चन्दनसिंह को बाद राजकार्य के रूखसत किया गया। प्रकरण हाजा में गिरफतारसुदा आरोपीया रेखा वैष्णव पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना से करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफतारसुदा आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना सिवाना में जमा हवालात करवाया गया। इस समय मौके की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने से ट्रेप कार्यवाही के दौरान कब्जा एसीबी लिये गये सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 5500 रूपये, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली सीडी, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली सीडी इत्यादि मालखाना आईटम श्री जेठाराम हैड कानि 53 को सुपुर्द कर सुरक्षित रखने की हिदायत कर समस्त ट्रेप दल, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं महिला कानि द्वारा रात्री विश्राम मुकाम सिवाना किया गया।

दिनांक 05.09.2022 समय 10.05 ए0एम पर गिरफतारसुदा आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी को महिला कानि श्रीमति विमला 838 की उपस्थिति में पुलिस थाना सिवाना की हवालात से प्राप्त किया गया। ताबाद श्री जेठाराम हैड कानि 53, श्री मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक श्री नरेन्द्रसिंह कानि ,श्री कंवराजसिंह कानि श्री भंवरलाल कानि, कानि चालक श्री शेराराम 302, दो स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज बैरवा एवं जगदीश कुमार को ट्रेप कार्यवाही के दौरान कब्जा एसीबी लिये गये सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 5500 रूपये, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली सीडी, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व दो खुली सीडी इत्यादि मालखाना आईटम्स् सहित जरिये सरकारी वाहन ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुँचने तथा श्री जेठाराम हैड कानि को इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित मालखाना आईटम जमा मालखाना करने व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज बैरवा सहायक अभियन्ता एवं श्री जगदीश कुमार कनिष्ठ सहायक को रूकसत करने की हिदायत कर रवाना किया गया। ताबाद मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफतारसुदा आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी, महिला कानि0 श्रीमति विमला नं0 838, श्री किसनाराम कानि, श्री शिवप्रताप कानि के माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर में आरोपिया रेखा वैष्णव को पेश करने हेतु मय प्राईवेट वाहन के रवाना हुआ।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण (1) रेखा वैष्णव पुत्री रामनिवास वैष्णव पत्नी श्री सुभाष वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 29 साल निवासी ग्राम मोडीकल्ला (निमडी कल्लां) तहसील रियाबडी पुलिस थाना हलसोट जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील

सिवाना जिला बाडमेर एवं (2) श्री सुभाष वैष्णव दलाल पटवारी रेखा वैष्णव का पति द्वारा परिवादी श्री चन्दनसिंह से उसके बडे भाई श्री जबरसिंह की पत्नी श्रीमति जोतीकंवर के नाम से जरिये रजिस्ट्री खरीदशुदा ग्राम मोकलसर के खसरा नम्बर 757 में 06 बीघा खातेदारी जमीन का म्युटेशन जोती कंवर के नाम दर्ज कर स्वीकृत करवाकर जमाबन्दी रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के एवज में 15000 रूपये रिश्वत पुर्व में प्राप्त करना, दिनांक 03.09.2022 को 10,000 रूपये की रिश्वत की और मांग करना, परिवादी श्री चन्दनसिंह द्वारा विनती करने पर 8000 रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमति देना एवं दिनांक 04.09.2022 को तय अनुसार रिश्वती राशि 8000 रूपये आरोपिया रेखा वैष्णव पटवारी के पति श्री सुभाष वैष्णव द्वारा प्राप्त करना व दौराने कार्यवाही ब्यूरो दल को देखकर श्री सुभाष वैष्णव द्वारा रिश्वती राशि फैंक कर मौके से फरार हो जाना, मौके पर रिश्वती राशि 5500 रूपये के ही नोट बरामद होना इत्यादि कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.सं. का कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

(अन्नराज)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्रीमती रेखा वैष्णव, पटवारी, पटवार हल्का मोकलसर, तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं 2. श्री सुभाष वैष्णव, दलाल (पटवारी रेखा वैष्णव का पति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 348/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5/9/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3023-28 दिनांक 5.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, बाड़मेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।